



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्र. 2784 / लोकपाल /2023

भोपाल, दिनांक 20/06/2023

//आदेश//

उपसचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक 623/22/वि-5/2023 दिनांक 21.05.2023 के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य) म.प्र. नियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला इंदौर एवं जबलपुर की लिए लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित पैनल का विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशन किया गया है जिसके संबंध में जनता को टिप्पणियां/आपत्तियां हो तो आयुक्त मनरेगा की ई-मेल commissioner.nregs@gmail.com पर आमंत्रित की जाती है।

Rlu

उपायुक्त,

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

भोपाल, दिनांक 20/06/2023

पृ. क्र. 2785 / स्टोर/2023

प्रतिलिपि :-

स्टेनों टू आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की ओर सूचनार्थ।

Rlu

उपायुक्त,

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

//आदेश//


भोपाल, दिनांक 31/10/2023

क्रमांक/ 625 /22/वि-5/2023 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य) म.प्र. नियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला इंदौर के लिये लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में पैनल चयनित किया जाता है।

1. श्री कैलाश चंद्र बोगर
2. डॉ. नितिन बलवंत शुक्ल
3. श्री रंजन कुवाल

2/ उपरोक्तानुसार चयनित पैनल के विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के अंदर टिप्पणियां तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

3/ प्रथम क्रम पर चयनित अभ्यर्थी के द्वारा त्याग पत्र, हटाने, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होने की दशा में पैनल के द्वितीय, तृतीय अभ्यर्थी को क्रमशः लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जावेगा।


(राकेश कुशरे) 31/5/23

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 31/10/2023

पृ.क्रमांक/ 626 /22/वि-5/2023

प्रतिलिपि -

आयुक्त मन्रेगा परिषद भोपाल म.प्र.। विभाग की वेबसाइट में तत्काल प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।


उप सचिव 31/5/23

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

//आदेश//


भोपाल, दिनांक 31/05/2023

क्रमांक/ 623 /22/वि-5/2023 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य) म.प्र. नियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला जबलपुर के लिये लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में पैनल चयनित किया जाता है।

1. श्रीमती रश्मि तिवारी
2. श्री सुनिल कुमार शुक्ला
3. श्री राजेन्द्र कुमार राय

2/ उपरोक्तानुसार चयनित पैनल के विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के अंदर टिप्पणियां तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

3/ प्रथम क्रम पर चयनित अभ्यर्थी के द्वारा त्याग पत्र, हटाने, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होने की दशा में पैनल के द्वितीय, तृतीय अभ्यर्थी को क्रमशः लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जावेगा।



(राकेश कुशरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 31/05/2023

पृ.क्रमांक/ 624 /22/वि-5/2023

प्रतिलिपि -

आयुक्त मनरेगा परिषद भोपाल म.प्र.। विभाग की वेबसाइट में तत्काल प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग